राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

कमांक–एफ 7 (2) ( )/रा.छा./सान्या.अवि./20–21/7823 जयपुर दिनांक 20/7/2021

## विद्या संबल योजना के दिशा–निर्देश एवं संचालन की प्रकिया

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 54.0.04 (2021–21)(24/02/2021) द्वारा एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र कमांकः प6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना प्रारम्भ की गई है।

**विद्या संबल योजना के तहत विभागीय विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में कठिन विश्यों की कोचिंग हेतु गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–**

1. योजनान्तर्गत गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी को कठिन विषय माना जावेगा।
2. योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र लाभान्वित किये जायेंगे।
3. योजनान्तर्गत प्रस्ताव/ आवेदन जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आमंत्रित किये जावेंगे।
4. सम्बन्धित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेंगा।
5. **गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया** :– जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग छात्रावासवार (बजट की उपलब्धता के आधार पर) अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवा निवृत कार्मिकों/निजी अभ्यर्थियों को परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।
6. गैस्ट फैकल्टी के चयन हेतु गठित समिति निम्नानुसार होगीः–

| | |
|---|---|
| • ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी | अध्यक्ष |
| • कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकर्मी | सदस्य |
| • छात्रावास अधीक्षक | सदस्य सचिव |

7. राजकीय छात्रावासों में गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

8. आवेदन पत्रों की जाँच गठित समिति द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित योग्यता / शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर संलग्न प्रारूप के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जावेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवायें वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

9. यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक शैक्षणिक सत्र (सत्र 2021–22) के लिए होगी तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नही किया जा सकेगा।

10. राजकीय छात्रावासों गैस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की दरें निम्नानुसार रहेगी:–

| पदनाम (अध्यापक) | कक्षा | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|---|---|---|---|
| ग्रेड–II | 9–10 | 350/– | 25000 |
| ग्रेड–I | 11–12 | 400/– | 30000 |

11. राजकीय छात्रावासों में तीन कठिन विषयों के लिए प्रति छात्रावास अधिकतम 75000/– रूपयें प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए देय होगा। जिलाधिकारी उपलब्ध बजट सीमा/ आवंटित बजट सीमा तक इसका उपयोग कर सकेंगे।

12. गैस्ट फैकल्टी की सेंवायें लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेंगा।

13. योजना कें संचालन हेतु नोडल अधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होंगे।

14. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेंगी।

15. **प्रकिया का विनिर्णयः**– इस प्रकिया की व्याख्या आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

19/7/21

**(ओ.पी. बुनकर)**
**निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव**

कमांक–एफ 7 (2 )( )/रा.छा/सान्या.अवि./2020–21/7824-7904 जयपुर दिनांक 20/7/2021

**प्रतिलिपिः**– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. जिला कलक्टर.....................................................समस्त।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.............................................।
9. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजना को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बन्ध में सम्बंधित को निर्देशित करावें।
11. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)/सहायक निदेशक, (प्रचार–प्रसार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि समस्त।
13. सहायक निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
14. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि समस्त।
15. आदेश पत्रावली।

20/07/2021

**(अनुपम कायल)**

**अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)**

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

## वरीयता निर्धारण हेतु प्रारूप

अभ्यर्थी का नामः–

पूर्ण पताः–

आवेदित पद मय विषयः–

छात्रावास का नामः–

| 10th | 12th | UG<br>B.A<br>B.COM<br>B. sc | P.G | B.ED | Ph.D/<br>M.Phil<br>degree | अकादमिक सामाजिक सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्रमाण–पत्र | अध्यापन अनुभव का प्रमाण–पत्र | कुल अंक | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 100 | |
| | | | | | | | | | |

| शैक्षणिक योग्यता के लिए 10,12,U.G, P.G, B.ED के लिए निर्धारित अंक | Ph.D/ M.Phil degree | सामाजिक सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में प्रशंसा पत्र, सम्मान प्राप्त करने पर निर्धारित अंक | अध्यापन का अनुभव |
|---|---|---|---|
| 1. प्रथम श्रेणी – 10 अंक<br>2. द्वितीय श्रेणी – 9 अंक<br>3. तृतीय श्रेणी – 8 अंक | 20 अंक | 1. राष्टीय स्तर – 20 अंक<br>2. राज्य स्तर – 15 अंक<br>3. जिला स्तर – 10 अंक | 1. दो वर्ष से तीन वर्ष या अधिक – 10 अंक<br>2. 1 से 2 वर्ष – 5 अंक<br>3. 0 से 1 वर्ष – 3 अंक |

जॉच कर्ता /

गठित चयन समिति के हस्ताक्षर